FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर ल छबड़ाबाई मुकाम बेगू

बनाम प्यार चन्द

करम मुकदमा नं. सन्.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11.11.24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई. वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थीया विपक्षी स.1 की पुत्र वधु है। व प्रार्थी स. 2-3 विपक्षी स. 1 के पोत्र है। ग्राम आंवल हेडा मे प्रार्थीगण के ससुर व दादा प्यार चन्द के नाम से पुरतैनी खातेदारी की कृषि आराजी यात खाता स. 204 मे अंकित आ.स. 44/1 रकबा 0.7360 है. भूमि मे प्रार्थीगण का हिस्सा 1/7 निहित है। और नोशनल शेयर भी बनता है। प्रार्थीगण अपने निहित हिस्सा आराजी पर निरंतर काबीज होकर खेती कर अपना भरण पोषण करते आ रहे है। विपक्षी स. 1 के नाम उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिसे विपक्षी स. 2 से 6 तक से मिल कर जबरन अवैध तरीके से बेचान करने पर आमादा है। इसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने दिनांक 18.7.19 को विपक्षी स. 1 को हमारी आजिविका की भूमि को बेचान मत करे। नही तो हमारी आजीविका का साधन छीन जायेगा का कहा तो विपक्षीगण ने कहा हम जो चाहे वो करेंगे हमारी मर्जी जिसे चाहे बेचें या खुर्दबुर्द करे। यदि विपक्षीगण ने उक्त पुरतेनी आराजीयात का जबरन बेचान कर दिया तो हमारे निहित हक हिस्से से महरूम हो जायेंगे। अत: विपक्षीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित पुश्तेनी अविभाजी कृषि आराजी को किसी प्रकार से रहन बेचान आदि तरीके से खुर्दबुर्द नही करें और ना ही किसी प्रकार से हस्तांतरित करने की धमकियां आदि देवे। प्रकरण मे वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई, प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों का हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया, प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2072-75 मे प्यार चन्द पिता नारायण ढोली के नाम आराजी स 44/1 रकबा 0.7360 है. दर्ज अंकित है. विपक्षी स. 1 का पुत्र श्री	

हुक्म या कार्यवाही मय इ...

तारिख हुक्म

दिनांक

जगदीश पिता प्यार चन्द ढोली की मृत्यु दिनांक 19.9.17 को हो चुकी है। [मृत्यु प्रमाण पत्र] के अनुसार प्रार्थीगण लच्छु बाई व मयंक, लखन मृतक जगदीश पिता प्यार चन्द ढोली की पत्नि व पुत्र है। जिसका उक्त आराजी यात मे हक हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ.धा. 212 RTA का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी स. 1 से लगायत 6 तक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि मौजा आंवल हेडा प.ह. आंवल हेडा की कृषि आराजी स. 44/1 रकबा 0.7380 हे. भूमि मे प्रार्थीगण के निहित हक हिस्से मे किसी प्रकार से रहन बेचान आदि तरीके से खुर्द-बुर्द नही करें और ना ही किसी प्रकार से हस्तांतरित करने की धमकीया आदि देवे। आदेश आज दिनांक 11.11.24 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली पौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]

S.K. ...